



सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 4 जनवरी, 1971

षीष 14, 1892 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 6244/17-343-70

लखनऊ, 4 जनवरी, 1971

विज्ञापित

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1970 पर दिनांक 2 जनवरी, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञापित द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० का अपेक्षित संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा

3-च के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम

संयुक्त प्रान्तीय

ऐक्ट संख्या 15,

1948 ई० की

धारा 3-च का

संशोधन

" 3-च—प्रत्येक व्यापारी, जो धारा 3, धारा 3-क, धारा 3-कक या धारा 3-च के अधीन कर का देनदार हो, और जिसका किसी कर-निर्धारण वर्ष में क्रय या विक्रय अथवा दोनों का कुल विक्रय-धन दो लाख रुपये से अधिक हो, उक्त कर के अतिरिक्त, उस कर-निर्धारण वर्ष के लिये अपने कर-योग्य विक्रय-धन पर पच्चीस पैसे प्रति सौ रुपये की दर से अतिरिक्त कर देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 में यथा-परिभाषित डिक्लेयर्ड गुड्स (घोषित माल) की दशा में :—

(क) यदि उक्त धाराओं के अधीन देय कर उक्त ऐक्ट की धारा 15 के अधीन अनुज्ञेय कर की अधिकतम धनराशि के बराबर हो तो इस धारा के अधीन कोई अतिरिक्त कर देय नहीं होगा;

(ख) यदि इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर और उक्त धाराओं के अधीन देय कर मिला कर उक्त ऐक्ट की धारा 15 के अधीन अनुज्ञय कर की अधिकतम धनराशि से अधिक हो जाय तो अतिरिक्त कर की धनराशि घटा कर उतनी हो जायगी जो उपर्युक्त प्रकार देय कर को मिला कर उक्त अधिकतम धनराशि के बराबर हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कर निर्धारण वर्ष की दशा में जो इस धारा के प्रवर्तन के पूर्व प्रारम्भ हुआ हो, यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ कि व्यापारी इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर का देनदार है या नहीं, ऐसे सम्पूर्ण कर-निर्धारण वर्ष के विक्रय-धन की गणना की जायगी किन्तु अतिरिक्त कर विक्रय-धन के केवल उस भाग के संबंध में देय होगा जिसका संबंध इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात् की अवधि से हो।

स्पष्टीकरण—यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ कि व्यापारी इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर का देनदार है या नहीं, उसका ऐसे माल के संबंध में, जो धारा 4 के अधीन कर से मुक्त हो, विक्रय-धन भी सम्मिलित किया जायगा।”

धारा 8 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 8 में—

(1) उपधारा (1) में, शब्द “ऐस ढंग से तथा ऐसी किस्तीं में, यदि कोई हो, तथा एक समय के भीतर जो कर-निर्धारण और मांग की नोटिस की तारीख के पश्चात् 15 दिन कम न होगा,” के स्थान पर शब्द “कर-निर्धारण और मांग की नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति से” रख दिये जायें;

(2) उपधारा (4) में शब्द “या नोटिस के अनुसरण में किसी धनराशि के मुप्रास के लिये समय बढ़ा सकता है” निकाल दिये जायें;

(3) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और संदर्भ इस प्रकार बढ़ाया गयी समझी जाय, अर्थात्—

“(9) उपधारा (1) और (1-क) में दी गयी किसी बात के होते हुये और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आज्ञा के होते हुये भी, यदि कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा किसी व्यापारी पर इस ऐक्ट के अधीन कर या अन्य देयों के संबंध में कर-निर्धारण और मांग की कोई नोटिस तामील की जाय और ऐस कर या देयों के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की जाय तो—

(क) यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कर या अन्य देयों की धनराशि बढ़ा दी जाय तो कर-निर्धारक अधिकारी व्यापारी पर केवल उतनी धनराशि के संबंध में, जितनी धनराशि की ऐस कर या अन्य देयों की वृद्धि की जाय, एक नयी नोटिस तामील करेगा, और ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के निस्तारण के पूर्व उस पर पहले से ही तामील की गयी नोटिस में तामिल धनराशि से संबंधित कोई कार्यवाही उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस प्रकार वह ऐस निस्तारण किये जाने के ठीक पूर्व रही हो;

(ख) यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि कम कर दी जाय तो—

(1) कर-निर्धारक अधिकारी को व्यापारी पर नयी नोटिस तामील करना आवश्यक न होगा;

(2) यदि वसूली की कोई कार्यवाही विचाराधीन हो तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी कमी किये जाने के तथ्य की सूचना कलेक्टर को देगा जो तदुपरान्त केवल कम की गई धनराशि की वसूली के लिये कार्यवाही करेगा; और

(3) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही का, जिसके अन्तर्गत वसूली की कोई कार्यवाही भी है, निस्तारण किये जाने के पूर्व व्यापारी पर तामील की गयी नोटिस या नोटिसों के आधार पर प्रारम्भ की गयी कोई कार्यवाही इस प्रकार जारी की गई धनराशि के सम्बन्ध में उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस प्रकार वह ऐस निस्तारण के ठीक पूर्व रही हो;

(ग) किसी ऐसे मामले में, जिसमें कर या अन्य देयों की धनराशि में ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई भिन्नता न हो, नयी नोटिस की आवश्यकता न होगी।”

4—मूल अधिनियम की धारा 9 में—

धारा 9 का संशोधन

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

“(1) कोई व्यापारी जिसे कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा दी गई, धारा 10—क में उल्लिखित आज्ञा से भिन्न, किसी आज्ञा पर आपत्ति हो, आज्ञा की प्रतिलिपि तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है जो निर्धारित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि इस ऐक्ट के अधीन किसी कर-निर्धारण आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील वृत्तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता कम से कम निम्नलिखित धनराशि भुगतान किये जाने का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दे—

(क) यदि विवरणी प्रस्तुत की जाय, तो अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में या बाद में कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों में, जो भी अधिक हो, स्वीकार किये गये, यथास्थिति, क्रय-धन या विक्रय-धन पर इस ऐक्ट के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, या

(ख) यदि कोई विवरणी प्रस्तुत न की जाय, तो कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किये गये, यथास्थिति, क्रय-धन या विक्रय-धन पर इस ऐक्ट के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, या निर्धारित कर या शुल्क की धनराशि का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो :

अपेक्षित प्रतिबन्ध यह है कि अपील सुनने वाला अधिकारी, विशिष्ट एवं यथेष्ट कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (ख) की अपेक्षाओं से छूट दे सकता है अथवा उन्हें मिथिल कर सकता है।”

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायें, अर्थात्—

“(3) अपील सुनने वाला अधिकारी, अपीलकर्ता तथा विक्रीकर कमिश्नर को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्,—

(क) कर-निर्धारण या अर्थ-दण्ड की किसी आज्ञा की दशा में—

(1) कर-निर्धारण या अर्थ-दण्ड अथवा दोनों की पुष्टि कर सकता है, उसको कम कर सकता है, बढ़ा सकता है अथवा उसका अभिशून्यन कर सकता है, या

(2) आज्ञा को रद्द कर सकता है और कर-निर्धारक अधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी अपेक्षित जांच करने के पश्चात्, जो निर्दिष्ट की जाय, फिर से आज्ञा दे, या

(ख) किसी अन्य आज्ञा की दशा में, ऐसी आज्ञा की पुष्टि कर सकता है, उसको निरस्त अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है।

(3—क) अपील सुनने वाले अधिकारी को अपीलकर्ता द्वारा अपीलाधीन किसी आदेश के अधीन देय कर, शुल्क अथवा अर्थ-दण्ड की किसी धनराशि की वसूली को स्थगित करने का अधिकार न होगा।”

5—मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

धारा 10 का संशोधन

“10—(1) राज्य सरकार उन व्यक्तियों में से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह हैं, एक पुनरीक्षण अधिकारी और उतने अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, जो वह उचित समझे, नियुक्त करेगी।

पुनरीक्षण

(2) कर-निर्धारक अधिकारी या अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से क्षुब्ध विक्री कर कमिश्नर के, या अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से, जो धारा 10—क में उल्लिखित आज्ञा न हो, क्षुब्ध किसी अन्य व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, स्वविवेक से, ऐसी आज्ञा की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ संगत अभिलेख मंगा सकता है और उनका परीक्षण कर सकता है और पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् और ऐसी अपेक्षित जांच, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्,—

(क) ऐसी आज्ञा की पुष्टि, उसे निरस्त या उसमें परिवर्तन कर सकता है, या

(ख) आज्ञा को रद्द कर सकता है और यथास्थिति, कर-निर्धारक अधिकारी या अपील सुनने वाले अधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी अपेक्षित जांच करने के पश्चात्, जो निर्दिष्ट की जाय, फिर से आज्ञा दे।

(3) किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी का क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्रों या वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि पुनरीक्षण अधिकारी अपने समक्ष विचाराधीन कोई मामला या किसी वर्ग के मामले को किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है, और इसी प्रकार किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन किसी मामले को किसी अन्य अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को या अपने पास हस्तान्तरित कर सकता है ।

(4) पुनरीक्षण अधिकारी या कोई अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर, बिक्री-कर कमिश्नर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस आज्ञा के, जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण विचाराधीन हो, अधीन व्यापारी द्वारा देय कर, शुल्क या अर्थदण्ड को किसी धनराशि की वसूली को स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी धारा 9 के अधीन उसके द्वारा जमा किये जाने के लिए अपेक्षित कर या शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की विवाद-ग्रस्त धनराशि की कम से कम एक तिहाई धनराशि का भुगतान करने का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दे ।

अपेक्षित प्रतिबन्ध यह है कि, यथास्थिति, पुनरीक्षण अधिकारी अथवा अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, विशिष्ट एवं यथेष्ट कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, पूर्ववर्ती परन्तु की कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की विवाद-ग्रस्त धनराशि से सम्बन्धित अपेक्षाओं से छूट दे सकता है अथवा उन्हें शिथिल कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन कोई स्थगन आज्ञा उसके दिये जाने के पश्चात् साठ दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त न रहेगी जब तक कि इस बीच प्रार्थी ने उस धनराशि के भुगतान के लिए, जिसकी वसूली स्थगित की गयी हो, कर-निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार प्रतिभूति न दे दी हो ।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन दी गयी आज्ञा की प्रतिलिपि प्रार्थी तथा विरुद्ध पक्ष में से प्रत्येक पर तामील की जायगी ।

(6) उपधारा (2) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र उस आज्ञा के तामील किये जाने के दिनांक से, जिसके विरुद्ध असतोष प्रकट किया गया हो, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि के पश्चात् प्रार्थना-पत्र ग्रहण किया जा सकता है यदि प्रार्थी यथास्थिति, पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी का यह समाधान कि उक्त अवधि के भीतर प्रार्थना-पत्र न दिये जाने का पर्याप्त कारण था ।

(7) यदि निर्धारित कर, लगाये गये शुल्क या आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा कम कर दी जाय तो वह कर, शुल्क या अर्थ दण्ड की अधिक धनराशि को, यदि वह पहले ही से वसूल कर ली गयी हो, वापस करने की आज्ञा देगा ।”

नयी धारा 10-क
का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

“10-क—निम्नलिखित के विरुद्ध न तो कोई अपील की जायेगी और न पुनरीक्षण के लिए कोई प्रार्थना-पत्र दिया जायेगा :—

(क) धारा 7 या धारा 21 के अधीन कोई आज्ञा या नोटिस जिसमें कर-निर्धारण या पुनःकर-निर्धारण के निमित्त कोई अपील या प्रारम्भ की जाय, या

आज्ञाएं जिनके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा

(ख) धारा 13 या धारा 13-क के अधीन कोई आज्ञा ।”

धारा 13-का
संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 13 में—

(1) उपधारा (2) में शब्द व कामा “श्रेणी के न हों,” और शब्द “निरीक्षण” के बीच शब्द “तलाशी लेने और” रख दिये जाय,

(2) उपधारा (4) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—
“प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) किसी आवासिक स्थान में (जो व्यापार-एवं-निवास-स्थान न हो) ऐसे अधिकारी द्वारा, सिवाय उस क्षेत्र पर अधिकार-क्षेत्र रखने वाले मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये तलाशी वारंट के प्राधिकार से, न तो प्रवेश किया जायेगा, न उसका निरीक्षण किया जायगा और न उसकी तलाशी ली जायगी । और

(2) इस धारा के अधीन किसी प्रकार प्रवेश करने, तलाशी लेने या निरीक्षण करने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102, 103 और 165 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता के अधीन किसी तलाशी के संबंध में लागू होते हैं।

1898 का अधिनियम 5

8—मूल अधिनियम की धारा 13-क में, उपधारा (2) से (4) तक के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

धारा 13-क का संशोधन

“(2) तत्पश्चात् ऐसा अधिकारी अभिगृहीत माल को किसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने को सुनिश्चित करने और इस प्रकार प्रस्तुत किये जाने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करेगा।”

9—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

धारा 14 का संशोधन

“(ख) ऐसा माल रखे जिसका लेखा उसके द्वारा व्यापारी के रूप में व्यापार के दौरान रखे गये लेखों या रजिस्ट्रों या अन्य लेखों में न रखा गया हो, अथवा”

10—मूल अधिनियम की धारा 15 में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

धारा 15 का संशोधन

“(ख) जो उस दशा में जब अपराध जान बूझकर ऐसे माल को रखने के संबंध में हो जिसका लेखा व्यापारी द्वारा अपने व्यापार के दौरान रखे गये लेखों या रजिस्ट्रों या अन्य लेखों में न रखा गया हो, उसके संबंध में देय कर की धनराशि के अतिरिक्त उसकी दोगुनी धनराशि से अधिक न हो;”

11—मूल अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

धारा 29 : संशोधन

“29—कर-निर्धारक अधिकारी इस ऐक्ट के अधीन व्यापारी द्वारा देय धनराशि से धनराशि की अधिक भुगतान किये गये किसी कर, शुल्क या अन्य देय धनराशियों को उसे, वापसी निर्धारित रीति से, वापस कर देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि वापस करने योग्य पाई गई धनराशि प्रथमतः व्यापारी द्वारा देय अवशिष्ट कर या किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायेगी और केवल शेष धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी।”

12—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1970 का अध्याय 2 तथा उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

अध्यादेश संख्या 14, 1970 के अध्याय 2 तथा अध्यादेश संख्या 20, 1970 का निरसन

No. 6244/XVII—343-70

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bikri-Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1971), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 2, 1971:

THE UTTAR PRADESH SALES TAX (AMENDMENT) ACT,
1970

(U. P. ACT No. 3 OF 1971)

[AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE]

AN

ACT

further to amend the U. P. Sales Tax Act, 1948

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act,

Short Title

Amendment of
section 3-F of
U. P. Act XV
1948

2. For section 3-F of the U. P. Sales Tax Act, 1948; hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be substituted, namely

"3-F Every dealer liable to pay tax under section 3, section 3-A, section 3-AA or section 3-D, whose total turnover of sales of Additional tax of purchases or of both in any assessment year exceeds on certain dealers. rupees two lakhs shall, in addition to the said tax, pay for that assessment year an additional tax at the rate of twenty-five paise on every hundred rupees of his turnover liable to tax :

Act 74 of 1956.

Provided that in the case of declared goods, as defined in the Central Sales Tax Act, 1956,—

(a) where the tax payable under the said sections equals the maximum amount of tax permissible under section 15 of that Act, no additional tax shall be payable under this section ;

(b) where the additional tax under this section together with the tax payable under the said sections would exceed the maximum amount of tax permissible under section 15 of that Act, the additional tax shall stand reduced to such amount as, together with the tax payable as aforesaid, equals the said maximum amount :

Provided further that in the case of an assessment year which has commenced before the commencement of this section, the turnover for the whole of such assessment year shall be taken into account for the purposes of determining whether the dealer is liable to pay additional tax under this section, but the additional tax shall be payable only in respect of that part of the turnover which relates to the period after the commencement of this section.

Explanation—For the purposes of determining whether the dealer is liable to pay additional tax under this section, his turnover in respect of goods which are exempt from tax under section 4 shall also be included."

Amendment of
section 8.

3. In section 8 of the principal Act,—

(1) in sub-section (1), for the words "in such manner and in such instalments, if any, and within such time, not being less than fifteen days from the date of service of the notice of assessment and demand," the words "within thirty days from the date of service of the notice of assessment and demand and in such manner" shall be substituted ;

(2) in sub-section (4), the words "or extend the time for making an payment in pursuance of the notice" shall be omitted ; and

(3) after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted and be deemed always to have been so inserted, namely :—

"(9) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (1-A) and notwithstanding any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, where any notice of assessment and demand in respect of any tax or other dues under this Act is served upon a dealer by an assessing authority and an appeal, revision or other proceeding is filed in respect of such tax or dues, then—

(a) where as a result of such appeal, revision or other proceeding the amount of such tax or other dues is enhanced, the assessing authority shall serve upon the dealer a fresh notice only in respect of the amount by which such tax or other dues are enhanced, and any proceeding in relation to the amount specified in the notice already served upon him before the disposal of such appeal, revision, or other proceeding, may be continued from the stage at which it stood immediately before such disposal ;

(b) where as a result of such appeal, revision or other proceeding the amount of such tax or other dues is reduced,—

(i) it shall not be necessary for the assessing authority to serve upon the dealer a fresh notice ;

(ii) if any recovery proceedings are pending, the assessing authority shall give intimation of the fact of such reduction to the Collector who shall thereupon take steps for the recovery of only the reduced amount ; and

(iii) any proceedings initiated on the basis of the notice or notices served upon the dealer before the disposal of such appeal, revision or other proceeding, including any recovery proceedings, may be continued in relation to the amount so reduced from the stage at which it stood immediately before such disposal ;

(c) no fresh notice shall be necessary in any case where the amount of the tax or other dues is not varied as a result of such appeal, revision or other proceeding.”

4. In section 9 of the principal Act,—

Amendment of section 9.

(1) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(1) Any dealer objecting to any order made by the assessing authority, other than an order mentioned in section 10-A, may, within thirty days from the date of service of the copy of the order, appeal to such authority as may be prescribed :

Provided that no appeal against an assessment order under this Act shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of not less than,—

(a) where return is filed,—the amount of tax or fee due under this Act on the turnover of sales or purchases, as the case may be, admitted by the appellant in the return filed by him or at a later stage in proceedings before the assessing authority, whichever is greater ; or

(b) where no return is filed,—the amount of tax or fee due under this Act on the turnover of sales or purchases, as the case may be, admitted at any stage in proceedings before the assessing authority, or 20 per cent of the amount of tax or fee assessed, whichever is greater :

Provided further that the appellate authority may, for special and adequate reasons to be recorded in writing, waive or relax the requirements of clause (b) of the preceding proviso.”

(2) for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(3) The appellate authority may, after giving the appellant and the Commissioner of Sales Tax a reasonable opportunity of being heard,—

(a) in the case of an order of assessment or penalty,—

(i) confirm, reduce, enhance or annul the order of assessment or of penalty or both ; or

(ii) set aside the order and direct the assessing authority to pass a fresh order after such further inquiry as may be specified ; or

(b) in the case of any other order, confirm, cancel or vary such order.

(3-A) The appellate authority shall not have the power of staying the realisation of any amount of tax, fee or penalty payable by the appellant under an order under appeal."

Amendment of section 10.

5. For section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"10. (1) The State Government shall appoint a Revising Authority, and such number of Additional Revising Authorities as it thinks fit, from amongst persons who are qualified to be appointed as Judges of a High Court.

(2) The Revising Authority or an Additional Revising Authority, on an application of the Commissioner of Sales Tax aggrieved by any order made by an assessing or appellate authority, or of any other person aggrieved by an order made by an appellate authority, not being an order mentioned in section 10-A, may, in its discretion, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such order, call for and examine the relevant record and, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after making such further inquiry, if any, as it deems necessary,—

(a) confirm, cancel or vary such order, or

(b) set aside the order and direct the assessing or appellate authority, as the case may be, to pass a fresh order after such further inquiry as may be specified.

(3) An Additional Revising Authority shall have jurisdiction in respect of such areas or such class of cases as may be specified by the State Government:

Provided that the Revising Authority may transfer any case or class of cases pending before itself to any Additional Revising Authority, and may like-wise transfer any case pending before an Additional Revising Authority to another Additional Revising Authority or to itself.

(4) The Revising Authority or any Additional Revising Authority, on an application of the dealer, may, after giving the Commissioner of Sales Tax an opportunity of being heard, stay the realisation of any amount of tax, fee or penalty payable by him under an order against which an appeal or revision is pending :

Provided that no such application shall be entertained unless the dealer has furnished satisfactory proof of the payment of not less than one-third of the disputed amount of tax, fee or penalty in addition to the amount of tax or fee required to be deposited by him under section 9 :

Provided further that the Revising Authority or Additional Revising Authority, as the case may be, may, for special and adequate reasons to be recorded in writing, waive or relax the requirements of the preceding proviso in respect of the disputed amount of tax, fee or penalty :

Provided also that no stay order under this sub-section shall remain in force for more than sixty days after the making thereof unless in the meantime the applicant has furnished security to the satisfaction of the assessing authority for payment of the amount the realisation whereof has been stayed.

(5) A copy of the order passed under sub-section (2) or sub-section (4) shall be served each upon the applicant and the opposite party.

(6) No application under sub-section (2) shall lie after the expiry of a period of one year from the date of service of the order complained of.

Provided that an application may be entertained after the said period when the applicant satisfies the Revising Authority or the Additional Revising Authority, as the case may be, that he had sufficient cause for not making the application within the said period.

(7) If the amount of tax assessed, fee levied or penalty imposed is reduced by the Revising Authority or the Additional Revising Authority under sub-section (2), it shall order the excess amount of tax, fee or penalty if already realised, to be refunded."

6. After section 10 of the principal Act, the following shall be *added* as a section, namely :—
- Addition of new section 10-A.
- “10-A. No appeal and no application for revision shall lie against—
- Orders against which no appeal or revision shall lie. (a) an order or notice under section 7 or section 21 initiating an inquiry for assessment or re-assessment ;
- (b) an order under section 13 or section 13-A.”
7. In section 13 of the principal Act,—
- Amendment of section 13.
- (1) in sub-section (2), *between* the words, “open to” and “inspection” the words “search and” shall be *inserted* ;
- (2) at the end of sub-section (4), the following proviso thereto shall be *inserted*, namely:—
- “Provided that—
- (i) no residential accommodation (not being a place of business-cum-residence) shall be entered into, inspected or searched by such officer except on the authority of a search warrant issued by a Magistrate having jurisdiction over the area ; and
- (ii) the provisions of sections 102, 103 and 165 of the Code of Criminal Procedure, 1898, shall, *mutatis mutandis* apply in relation to any entry, search or inspection under this section as they apply in relation to any search under the said Code.”
- Act V of 1898.
8. In section 13-A of the principal Act, for sub-sections (2) to (4), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—
- Amendment of section 13-A.
- “(2) Such officer shall thereafter take all measures necessary for securing the production of the goods seized in a court and for their safe custody pending such production.”
9. In section 14 of the principal Act, in sub-section (2), *after* clause (b), the following clause shall be *inserted*, namely :—
- Amendment of section 14.
- “(bb) possesses goods not accounted for by him in the accounts or registers or other documents maintained in the course of his business as dealer ; or”
10. In section 15 of the principal Act, *after* clause (b), the following clause shall be *inserted*, namely :—
- Amendment of section 15.
- “(bb) where the offence consists of wilful possession of goods not accounted for in the accounts or registers or other documents maintained by a dealer in the course of his business, a sum of money not exceeding double the amount of tax payable in respect thereof, in addition to the amount of such tax ;”
11. For section 29 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—
- Amendment of section 29.
- “29. The assessing authority shall, in the manner prescribed, refund to a dealer any amount of tax, fees or other dues paid in excess of the amount due from him under this Act :
- Provided that the amount found to be refundable shall first be applied towards the tax or any other amount outstanding against the dealer and only the balance, if any, shall be refunded.”
12. Chapter II of the Uttar Pradesh Taxes and Fees Laws (Amendment) Ordinance, 1970 and the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1970, are hereby repealed.
- Repeal of Chapter 11 of Ordinance 14 of 1970 and Ordinance 20 of 1970.

आजा से,
कैलाश नाथ गोयल,
संयुक्त सचिव।